न्यायालय नायब तहसीलदार गडरारोड़,जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 02/NT/18 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल

बनाम

गैरसालय

राजस्थन सरकार जरिये
पटवारी हल्का आमाणी

श्री रहीम पुत्र श्री बदरीन
जाति मुसलमान निवासी मसारियो की ढाणी
तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर।

"निर्णय"

दिनांक 09.10.18

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उपस्थिति । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आमाणी ..ने धारा 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायलू ने मौका मसारियो की ढाणी के खसरा नंम्बर381 रकबा 19-08 बीघा में से 40-00 बीघा किस्म कृषि योग्य राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ /गैरसायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिर्पोट अनुसार अतिकमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50/– अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

पटवारी हल्का आमाणी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 09.10.18 को सरेआम सुनाया गया।

जुमाना 50/- फसल नि. —
कुल योग 50/- जि.के पृष्ठ सं. 14
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गड़रारोड़
नायब तहसीलदार गड़रारोड़

Scanned by CamScanner